DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023 ATED----------

यमुना की बाढ़ में बह गए डीडीए के करोड़ों रुपये

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

- यमुना किनारों को सुंदर बनाने के लिए डीडीए कर रहा 10 परियोजनाओं पर काम
- चालू वित्त वर्ष के बजट में इन परियोजनाओं के लिए है 405 करोड़ का प्रविधान

यमुना की बाढ़ में डीडीए को भी करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान के सही मूल्यांकन के लिए डीडीए इसका आकलन कराएगा। इसके बाद पुरानी गलतियों से सबक लेकर विशेषज्ञों की सलाह पर ही दोबारा काम शुरू करेगा।

पल्ला से ओखला बैराज तक 22 किमी के दायरे में यमुना के किनारों पर सुंदरीकरण के लिए डीडीए 10 परियोजनाओं पर काम कर रहा है। हाल ही में एलजी वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए की बोर्ड बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए बजट पास करने के क्रम में इन परियोजनाओं के लिए 405 करोड़ रुपये का प्रविधान भी किया गया था।

बताया जाता है कि 'असिता ईस्ट' और 'बांसेरा' के साथ-साथ आठ अन्य परियोजनाओं पर भी लंबे समय से काम चल रहा है। इसके अंतर्गत 80 हजार पेड़ लगाए जा चुके हैं, सलेक्शन वन श्रेणी की 29 लाख कार्पेट घास लगाई गई है। इसके अलावा स्कल्पचर, फुटपाथ, बेंच, हट और फव्वारों इत्यादि पर भी काफी रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्य को गति देने के पीछे एक प्रमुख कारण जहां एनजीटी द्वारा यमुना की सफाई के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के निर्देश पर तय समय में यमुना के किनारों को आकर्षक बनाना रहा है। लेकिन, यमुना में आई बाढ़ ने सब बर्बाद कर दिया। अब सभी परियोजनाओं पर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। केवल एक 'बांसेरा' में बर्बादी थोड़ा कम हुई है, क्योंकि वह थोड़ी ऊंचाई पर है।

विशेषज्ञों की मानें तो डीडीए यमुना किनारे जो काम कर रहा था, वह बाढ़ क्षेत्र के नियमों के अनुरूप था ही नहीं। बाढ़ क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। पेड़-पौधे भी वहीं लगाए जाने चाहिए, जो क्षेत्र के अनुकूल हों। सबसे अहम तथ्य यह कि बाढ़ क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखा जाए।

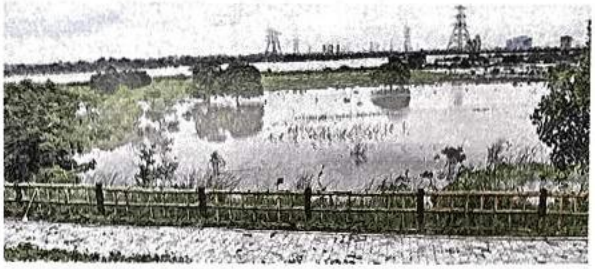

सराय काले खां के सामने यमुनाकिनारे बाढ़ से जलमग्न बांसेरा पार्क • जागरण

यमुना किनारे चल रहीं 10 परियोजनाएं

परियोजना	कुल क्षेत्र	कुल बजट
1. असिता ईस्ट	197 हेक्टेयर	13.29 करोड़
2. कालिंदी अविरल	100 हेक्टेयर	13.00 करोड़
3. कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क	115 हेक्टेयर	7.58 करोड़
4. यमुना वाटिका	200 हेक्टेयर	15.25 करोड़
5. अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क	108 हेक्टेयर	31.03 करोड़
6. घाट एरिया	66 हेक्टेयर	13.73 करोड़
7. यमुना वनस्थली	236.5 हेक्टेयर	11.12 करोड़
8. मयूर नेचर पार्क	397.75 हेक्टेयर	82.20 करोड़
9. इको टूरिज्म एरिया	30 हेक्टेयर	86.73 करोड़
10. हिंडन सरोवर	45 हेक्टेयर	1.48 करोड़

निस्संदेह यमुना में आई बाढ़ से हमारी परियोजनाओं को काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। नए सिरे से काम शुरू करने से पहले यह ध्यान भी रखा जाएगा कि बाढ़ क्षेत्र के लिए किस तरह का प्लान अधिक उपयुक्त रहेगा, ताकि भविष्य में दोबारा इतना नुकसान न हो। -राजीव तिवारी, प्रधान आयुक्त (उद्यान), डीडीए

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: दैनिक जागरण नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2023 -DATED----------

यमुना खादर में अतिक्रमण नुकसान का बड़ा कारण

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

9000 हेक्टेयर के आसपास वर्ष
2009 में यमुना खादर का कुल क्षेत्र था

2500 हेक्टेयर जमीन
अतिक्रमण की चपेट में है अब

यमुना नदी का जलस्तर भले ही घटने लगा हो, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। सबसे चिंताजनक यह कि यमुना में आई यह बाढ़ करोड़ों रुपये के नुकसान का कारण बनी है। विशेषज्ञों की मानें तो नुकसान बढ़ाने में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही कारक रहे हैं। काउंसिल आफ एनर्जी, एन्वायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के विशेषज्ञों का आकलन है कि यमुना खादर की जमीन में लगभग चार दशक से निर्माण कार्य व अतिक्रमण होता आ रहा है। जमीन का भू-उपयोग बदल अलग-अलग जरूरतों से यहां कितने ही निर्माण कार्यों को अनुमति दे दी गई। अक्षरधाम मंदिर और राष्ट्रमंडल खेल गांव तक खादर क्षेत्र में बने हैं। कई सरकारी कार्यालय भी इस क्षेत्र में बने हैं, तो कई निजी प्रतिष्ठान भी चल रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप से इन्हें स्वीकृति भी मिलती गई।

डीडीए से प्राप्त आंकड़ों पर जाएं, तो वर्ष 2009 में यमुना खादर का कुल क्षेत्र नौ हजार हेक्टेयर के आसपास था। इसमें से लगभग 2500 हेक्टेयर अतिक्रमण की चपेट में है। एक बड़े हिस्से में निर्माण हो चुके हैं। अब डीडीए अपने पास बमुश्किल 1300 हेक्टेयर ही बता रहा है। यानी, खादर क्षेत्र सही मायनों में अब खादर रहा ही नहीं। सीईईडब्ल्यू के सीनियर प्रोग्राम लीड डा. विश्वास चितले कहते हैं कि किसी भी नदी के खादर को बाढ़ क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वह बाढ़ के पानी को संभालता है और भूजल रिचार्ज करता है। जबकि, दिल्ली में यमुना का बाढ़ क्षेत्र अब बचा ही नहीं है। लिहाजा, बाढ़ का पानी शहर में फैल गया है और बड़े नुकसान का कारण बन रहा है।

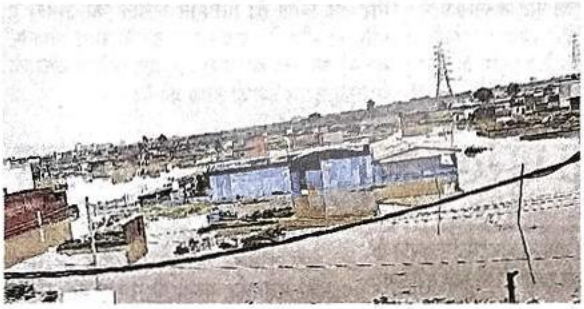

यमुना खादर में अतिक्रमण के कारण राहत-बचाव कार्य में आई परेशानी ● फाइल फोटो

मशहूर वनस्पतिशास्त्री और सेंटर फार एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम (सीएमईडीई) के प्रमुख सीआर बाबू भी इससे इन्कार नहीं करते। उन्होंने कहा कि हरियाणा और उत्तराखंड के अपस्ट्रीम में कई बांध/बैराज हैं, जो जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने पर बड़ी मात्रा में पानी छोड़ते हैं, लेकिन वहां ऐसे हालात नहीं बनते। उन्होंने कहा कि नदियों में बाढ़ के मैदान पांच से 10 किमी चौड़े होते हैं और बाढ़ के पानी को आसानी से नीचे की ओर ले जाते हैं, ताकि वह मानव बस्तियों में न जाए। विडंबना यह कि यमुना के पश्चिमी किनारे आइटीओ पर कोई बाढ़ क्षेत्र नहीं है। विकास के लिए इस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। पांच किमी के बाढ़ क्षेत्र में जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो अतिरिक्त बाढ़ के पानी को रोकते हैं, लेकिन यहां भी बाढ़ क्षेत्र सिकुड़ गया है। यह पूछने पर कि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर से न बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। खादर को बस खादर ही रहने दिया जाए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, JULY 18, 2023

Delineation of Zone O will only compound flooding: Experts

Vibha.Sharma@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi Development Authority (DDA) has proposed 'regulated development' on part of Zone O in the draft Master Plan 2041, but experts have suggested it may need to reconsider its decision to delineate the Yamuna in view of the recent floods.

While DDA officials argue that delineation is crucial to ensure no further illegal development happens on the floodplains, experts claim the exercise would lead to extension in unauthorised construction. The problem of flooding, they warn, could intensify in the colonies every time there's heavy rain.

As per Master Plan 2021, Zone O comprises the entire floodplain along the 22km-long stretch of the Yamuna falling in Delhi — from Wazirabad to Palla — spread over 10,000 hectares.

In its draft Master Plan 2041, DDA has divided Zone O into Zone O-I and Zone O-II. While no construction will be permitted in Zone O-I, or the 'river zone', regulated development will be allowed in Zone O-II.

According to A K Jain, former planning commissioner, DDA, it's "not too late" to make tweaks. "The master plan is in draft stage, so changes can be done easily. In fact, Section 11A of DDA Act permits changes in approved master plan, if necessary. The floodplain should not be compromised, even if it means shifting some colonies," he said.

A senior DDA official, however, claimed the draft master plan has nothing much to do with flooding on the river banks, which, he said, happened "due to multiple issues".

"Also, we have done nothing new in the draft master plan except identify floodplains based on flooding in the past 25 years. The core area has been defined as 'river zone' and the other where no flooding happened in 25 years is considered 'regulated zone'."

A total of 76 unauthorised colonies are in this zone, but residents have been unable to get ownership rights for their properties under the Pradhan Mantri – Unauthorised Colonies in Delhi Awas Adhikar Yojana (PM-UDAY). Colonies in Jaitpur, Okhla and Karawal Nagar, all under Zone O-II, were inundated after the heavy rains.

Anindya Chattopadhyay

MITHAPUR

"Currently, there is no civic infrastructure in colonies falling in Zone O-II. These have come up over a period of time and have lakhs of residents, so shifting them is impossible. Delineation would help in further laying drainage and sewerage infrastructure in the unauthorised colonies and ensuring there is no flooding in the future even if Yamuna levels rise," said the official.

According to Faiyaz Khudsar, an environmentalist and programme in-charge of Yamuna Biodiversity Park, the floodplain has its own ecological character and should be left the way it is.

"This year witnessed record-breaking flooding in the city. It was a lesson for us that rivers can reclaim their boundaries anytime and we shouldn't allow construction on floodplains," said another expert.

The river zone is spread over 6,295 hectares while the regulated riverfront is 3,638 hectares in size. The master plan draft states there should be flood checks once every 25 years in the interest of ecology, biodiversity and the river flow.

In September 2019, NGT had asked DDA to complete the process of demadrcating the Yamuna floodplains and install fencing and CCTV cameras to protect it from encroachment. Maps prepared by IIT-Delhi, based on the maximum water levels observed in 2011 at various locations, have been used for demarcation.

Experts, however, raised concerns. "After IIT's study in 2014, NGT directed DDA to vacate areas where flooding happened and ensure no new development took place. But nothing much happened on the ground. Narrowing the river boundaries, regulating unauthorised colonies and making embankments will have their own implications," said A K Gosain, emeritus professor, IIT-D.

Jain said flood checks should be done for 100 years to minimise chances of disaster. "Ring Road was constructed after doing flood checks for 50 years, but in 1978 and now in 2023, severe waterlogging has been reported," he pointed out.

DDA officials said a timeframe of 25 years was adopted on the recommendation of an expert committee formed by NGT and a deadline over that is taken in "extraordinary circumstances".